Helpline 1064 | 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर में जे.वी.वी.एन.एल. की सहभागी कंपनी का हैल्पर 17 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, कनिष्ठ अभियंता मौके से फरार**

जयपुर, *06 दिसम्बर, बुधवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर नगर द्वितीय इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये बनवारी लाल पूनिया हैल्पर फॉल्ट रैक्टिफिकेशन टीम, कंपनी वीजन प्लस, कार्याक्षेत्र कार्यालय सहायक अभियंता, कालवाड़, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर को परिवादी से **17 हजार रूपये** की रिश्वत लेते हुये गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (कार्यवाहक महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर नगर द्वितीय इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके द्वारा आवेदित विद्युत कनेक्शन लगाने की एवज में अनिल कुमावत कनिष्ठ अभियंता कार्यालय सहायक अभियंता, कालवाड़, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर द्वारा **20 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री डॉ. रवि** के सुपरवीजन में एसीबी जयपुर नगर द्वितीय इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुरेन्द्र सिंह** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री अभिषेक पारीक, पुलिस निरीक्षक श्री भंवर सिंह** द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये बनवारी लाल पूनिया पुत्र श्री कजोड़मल पूनिया निवासी पूनियों की ढाणी, सारंग का बास, पुलिस थाना कालवाड़, जयपुर हाल हैल्पर फॉल्ट रैक्टिफिकेशन टीम, कंपनी वीजन प्लस, कार्याक्षेत्र कार्यालय सहायक अभियंता, कालवाड़, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर को परिवादी से कनिष्ठ अभियंता के लिये **17 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते हुये गिरफ्तार किया गया है। आरोपी अनिल कुमावत कनिष्ठ अभियंता एसीबी कार्यवाही की भनक लगने पर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री डॉ. रवि के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (कार्यवाहक महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।